प्रा-2 है

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (द्वितीय), सीकर

न्यायालय

जवाहरमल बनाम भूदाराम

किस्म मुकदमा दावा मु. नं. 97/2012 वर्ष

दिनांक	आज्ञा - पत्र
14/3/24	पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/उभयपक्ष हाजिर पीठासीन अधिकारी चुनाव/अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 26/3/24 को पेश हो।
26/3/24	पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/उभयपक्ष हाजिर पीठासीन अधिकारी चुनाव/अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 16/4/24 को पेश हो।
16/4/24	पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/उभयपक्ष हाजिर पीठासीन अधिकारी चुनाव/अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 9/5/24 को पेश हो।
9/5/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। आवेदन अन्तर्गत आदेश 7 R11 CPC पर वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आवेदन अन्तर्गत आदेश 7 R11 CPC निर्णय/आदेश हेतु दिनांक 17/5/24 को पेश हो। सहायक कलक्टर (द्वितीय)सीकर
17/5/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील वादी ने सर्टिफिकेशन पेश की। शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 20/5/24 को पेश हो। सहायक कलक्टर (द्वितीय)सीकर
20/5/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। आवेदन अन्तर्गत आदेश 7 R 11 CPC स्वीकार किया जाता है। वाद वादी खारिज किया जाता है। निर्णय अलग से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली खैफल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (द्वितीय)सीकर

न्यायालय सहायक कलक्टर द्वितीय सीकर

पीठासीन अधिकारी– मुनेश कुमारी (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 97 / 2012

1. जवाहरमल पुत्र स्व. सूरजमल (मृत) जरिये कायम मुकाम
   1/1 भंवरलाल उम्र 67 वर्ष
   1/2 शंकरलाल उम्र 65 वर्ष
   1/3 चान्दमल उम्र 53 वर्ष
   1/4 हरिप्रसाद उम्र 51 वर्ष
   1/5 गणेश कुमार उम्र 49 वर्ष
   पुत्रगण स्व. जवाहरमल ब्राहमण निवासी ग्राम मोरडूंगा।
   1/6 बिदामी उम्र 60 वर्ष पत्नि श्री सोहनलाल
   1/7 राधा उम्र 57 वर्ष पत्नि श्री बंजरगलाल
   1/8 गोमती उम्र 55 वर्ष पत्नि श्री स्व. गोपाल
   पुत्रियां स्व. जवाहरमल ब्राहमण निवासी ग्राम मोरडूंगा वाया–सिंगरावट तहसील व जिला– सीकर।
2. धनराज पुत्र स्व. जवाहरमल ब्राहमण उम्र 52 वर्ष निवासी ग्राम मोरडूंगा।
3. कानाराम उर्फ कन्हैयालाल पुत्र स्व. सूरजमल (मृत) जरिये कायम मुकाम।
   3/1 प्रेमराज
   3/2 टीकम चंद
   3/3 ओमप्रकाश
   3/4 पूरणमल
   3/5 प्रहलादराय
   3/6 भागीरथ
   पुत्रगण स्व. कानाराम उर्फ कन्हैयालाल
   3/7 श्रीमती संतरा पत्नि श्री जगदीश शर्मा निवासी सेवद छोटी एवं पुत्री स्व. कानाराम उर्फ कन्हैयालाल
   3/8 श्रीमती कंवरी पत्नि स्व. कानाराम उर्फ कन्हैयालाल समस्त जाति ब्राहमण निवासी मोरडूगां वाया
   सिंगरावट तहसील व जिला सीकर
4 पूरणमल पुत्र स्व. कानाराम उर्फ कन्हैयालाल समस्त जाति ब्राहमण निवासी मोरडूगां वाया सिंगरावट तहसील
   व जिला सीकर

वादी,

बनाम

1. भूदाराम पुत्र जय किशन (मृत) जरिये कायम मुकाम
   1/1 सांवरमल
   1/2 हरिप्रसाद
   1/3 शंकरलाल पुत्रगण स्व. भूदाराम
   1/4 गीता
   1/5 मुन्नी
   1/6 सावत्री
   1/7 श्याना उर्फ शांति पुत्री स्व. भूदाराम
   1/8 दुर्गादेवी पत्नि स्व. भूदाराम

सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर

समस्त जाति ब्राहमण निवासी मोरडूगां वाया सिंगरावट तहसील व जिला सीकर
भूधारकर–तहसीलदार सीकर। प्रतिवादीगण

उपस्थितः–
1. श्री रामप्रकाश गुप्ता, वकील वादी की ओर से।
2. श्री गणपतलाल,वकील प्रति0सं0 1, 2 की ओर से।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी

दिनांक –20.05.24

निर्णय

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण मे प्रतिवादी संख्या 1/1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित सीपीसी में अंकित तथ्यों का संक्षेप में विवरण इस प्रकार से है कि ग्राम मोरडूंगा तहसील धोद जिला सीकर में कृषि भूमि खसरा नम्बर 102 रकबा 3.58 हैक्टर जिनके पुराने खसरा नम्बर 62 रकबा 14 बीघा 13 बिस्वा भूमि के मूल खातेदार दुर्गाराम पुत्र केशाराम से वादग्रस्त भूमि वादी संख्या 1 व 3 को मिति पोष बदी–10 सम्वत 2016 को 1400 रूपयें में बेचान करने की लिखावट होना बताया है और उक्त लिखावट के आधार पर यह दावा पेश किया गया है। किसी भी एग्रीमेंट,लिखावट के आधार पर यदि कोई दावा पेश किया जाता है तो सुनवाई का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को है। राजस्व न्यायालय को एग्रीमेन्ट वा लिखावट के आधार पर वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं है। प्रस्तुत वाद 1400 रूपये बेचान करने की लिखावट होना बताकर यह दावा पेश किया गया है। प्रार्थी वादग्रस्त भूमि का न तो खातेदार है और न ही वादग्रस्त भूमि का अपने आपको खातेदार, काश्तकार उद्घोषित करवाने का कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। इस कारण वादी का वाद चलने योग्य नही है। वादीगण ने प्रस्तुत वाद विधि के विपरित जाकर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है। इस कारण वादी का वाद विधि विरूद्व होने के कारण नामंजूर किये जाने हेतु निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित सीपीसी के जवाब वकील वादी ने सीधी बहस कर प्रस्तुत मूल वाद के दावा आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए दावा में प्रस्तुत तथ्यो के संबंध में साईटेशन प्रस्तुत किया। दावा आवेदन में अंकित तथ्यों का संक्षेप में विवरण इस प्रकार से है वाद वादीगण विरूद्ध इस आशय का डिक्री फरमाया जावे कि ग्राम मोरडूँगा पटवार हल्का शाहपुरा तहसील व जिला सीकर की तन में अवस्थित काश्त भूमि खसरा नम्बर 102 रकबा 3.58 हैक्टर जिनके पुराने खसरा नम्बर 62 रकबा 14 बीघा 13 बिस्वा के काबिज खातेदार काश्तकार वादीगण है तथा उक्त अनुसार राजस्व रिकार्ड में आवश्यक दुरूस्ती कराई जावे। वादी संख्या 1 व 3 ने मिति पोष बदी 10 सम्बत 2016 को बिल एवज 1400 रूपये क्रय कर वास्तविक रूप से कब्जा काश्त प्राप्त कर लिया तब से ही क्रेता वादी उक्त भूमि पर बहैसियत काबिज काश्तकार चले आ रहे है। उक्त विक्रय के सम्बन्ध में खातेदार विक्रेता दुर्गाराम ने क्रेता वादी की बही में एक लिखावट बाबत स्वीकारोक्ति विक्रय तहरीर करा दी थी। तब से उक्त भूमि वादी–क्रेतागण व उनके परिवार के कब्जे काश्त एवं खातेदारी अधिकार में साधिकार चली आ रही है। इसी कारण गिरदावरी सम्वत 2017 से 2023 में काबिज काश्तकार वादी क्रेता का नाम अंकित रहा एवं लगान भी वादी क्रेता द्वारा ही संदाय किया जाता रहा है परन्तु बाद प्रतिवादी संख्या 1 ने पटवारी हल्का को अन्यथा प्रभाव में लेकर गुप्त रूप से हेरा फेरी कराई थी जिसका वादीगण के परिपक्व खातेदारी अधिकारों पर कोई अन्यथा विपरीत प्रभाव नहीं है। उक्त भूमि का राजस्व रिकार्ड त्रुटिवश प्रतिवादी संख्या 1 के नाम अंकित होने पर अनुचित लाभ उठा कर प्रतिवादी संख्या 1 ने उक्त भूमि के संबंध में एक राजस्व वाद संख्या 211/81 व उसके साथ एक आवेदन अस्थाई निषेधाज्ञा संख्या 101/81 काश्त व कब्जे के बाहर रहते पेश किया था। यह कि प्रतिवादी संख्या 1 वास्तव में जयकिशन का पुत्र है और गांव व समाज में उक्त रूप में ही जाना व पहिचाना जाता रहा है, मतदाता सूची में उसके पिता का नाम जयकिशन अंकित रहा है

सहायक कलक्टर (द्वितीय)सीकर

जो खातेदार विक्रेता स्व दुर्गाराम का रिश्ते में भतीजा है,अस कारण दुर्गाराम के स्वर्गवास के बाद अनुचित लाभ प्राप्त करने एवं सम्पदा हथियाने की नियत से स्वयं को दुर्गाराम का पुत्र बता कर राजस्व रिकार्ड में अपना नाम छल, कपट एवं गुप–चुप पूर्वक कार्यवाही में अंकित करवा लिया। इसलिए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित सीपीसी खारिज किया जाना प्रार्थनीय है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी पर बहस वकील उभय पक्ष सुनी गई।

न्यायालय ने वकील उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी में एवं जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो का अवलोकन किया। अवलोकन से जाहिर है कि वादी द्वारा वाद इस कथन के साथ पेश किया कि ग्राम मोरडूँगा पटवार हल्का शाहपुरा तहसील व जिला सीकर की तन में अवस्थित काश्त भूमि खसरा नम्बर 102 रकबा 3.58 हैक्टर जिनके पुराने खसरा नम्बर 62 रकबा 14 बीघा 13 बिस्वा के काबिज खातेदार काश्तकार वादीगण है। वादी संख्या 1 व 3 ने मिति पोष बदी 10 सम्बत 2016 को बिल एवज 1400 रूपये क्रय कर वास्ततिक रूप से कब्जा काश्त प्राप्त कर लिया तब से ही क्रेता वादी उक्त भूमि पर बहैसियत काबिज काश्तकार चले आ रहे है।

वादी के वाद कथन के अभिकथनो को कानूनी परिधी में देखा जावे तो वादी द्वारा इस कथन के साथ विवादित सम्पदा मिति पोष बदी 10 सम्बत 2016 को बिल एवज 1400 रूपये क्रय कर वास्ततिक रूप से कब्जा काश्त प्राप्त कर लिया तब से ही क्रेता वादी उक्त भूमि पर बहैसियत काबिज काश्तकार चले आ रहे है। इस प्रकार यह दावा एग्रीमेंट व लिखावट के आधार पर पेश किया गया है । विधि का सुस्थापित सिद्धात है कि 100 रूपये से अधिक की संपदा जिसका कय या विकय किया जाता है तो उसका पंजीयन होना जरूरी है उक्त वाद में विवादित संपदा 1400 रूपये में एग्रीमेंट या लिखावट के आधार पर कय/विकय की गई है। जो कि पंजीकृत नही है। अपंजीकृत विकंय करार के आधार पर घोषणा हेतु वाद राजस्व न्यायालय में पोषणीय नही है तथा इस न्यायालय के क्षैत्राधिकार में नही आता है। उक्त विवादित संपदा का विकय अपंजीकृत विकंय करार पर होने के कारण इसका सुनवाई का क्षैत्राधिकार सिविल न्यायालय है। जिसे किसी भी कानूनी प्रावधानों के तहत अमान्य नहीं किया जा सकता। इस प्रकार वादी द्वारा प्रस्तुत वाद बिना किसी कानूनी प्रावधान के पेश किया होने के कारण विधि द्वारा वर्जित है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण/प्रतिवादी संख्या 1/1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाता है तथा वाद वादी खारिज किया जाता है।

(मुनेश कुमारी)
सहायक कलक्टर द्वितीय सीकर
सहायक कलक्टर (द्वितीय)सीकर

निर्णय आज दिनांक 20.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। सहायक कलक्टर (द्वितीय)सीकर

सहायक कलक्टर द्वितीय सीकर
सहायक कलक्टर (द्वितीय)सीकर

सहायक कलक्टर (द्वितीय)सीकर

न्यायालय सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर